CIN U45203MP2004SGC016758

Madhya Pradesh Road Development Corporation Ltd.

(M.P. State Highway Authority)

(Govt. of M.P. Undertaking)

45 – A, Arera Hills, Bhopal – 462 011

☎ : 0755 – 2597290 / 2765205 Fax: 0755-2572643, Website: www.mprdc.gov.in

OFFICE OF THE DIVISIONAL MANAGER

Chief Engineer, central zone M.P.P.W.D. office campus, South Civil lines, JABALPUR - 482 001

E-mail: dm-jabalpur@mp.gov.in

No. 2561/DM-JBP/ADB-VI-VII/PKG-53/2022-23
Jabalpur, Dated: March 23rd, 2023

The Additional Principal Chief Conservator of Forest
(Land Administration)
Bhopal, Madhya Pradesh

विषय: मंडला जिले में ए. डी. बी.- 6/7 योजना के अंतर्गत पदमी-रामनगर-घुघरी-सलवाह मार्ग उन्नयन /निर्माण हेतु 5.445 हेक्टेयर (ऑनलाइन 5.70 हे.) आरक्षित वनभूमि संभागीय प्रबंधक , मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड को उपयोग पर देने बावद

सन्दर्भ: एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार पत्र क्र. 6-एमपीआर 026/2022- बीएचओ/ दिनांक 12/10/2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत् संदर्भित पत्र में क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल ने आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन के निम्न बिंदुओं पर स्पष्ट अनुपालन हेतु निर्देशित किया है। तदनुसार, वांछित अनुपालन निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

S.No.	Condition	Compliance
1	Documentary evidence of existence of road prior to 1980 shall be submitted.	Toposheet No. 64B/6, ऑनलाइन प्रकरण भाग-1 के बिंदु क्र.C (iii) में वर्ष 1978 कि Toposheet में यह मार्ग दर्शाया गया हैं, जिससे स्पष्ट है कि यह मार्ग 1980 से पूर्व अस्तित्व में है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न हैं I
2	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan shall be submitted.	वांछित जानकारी ऑनलाइन आवेदन के बिंदु क्र. B-2.4 में दी गई है I
3	KML file layout plan of forest area non forest area is shall be submitted /uploaded on e. portal.	प्रस्तावित मार्ग की पूर्ण KML File ऑनलाइन प्रकरण भाग-1 के बिंदु क्र.C (ii) (b) 5.7 हैक्टेयर पर अपलोड कर दी गयी है I
4	As per DFO ,East Mandla Division ,the proposed CA area is encroached by land users.The User Agency assure that the said	कार्यालय कलेक्टर मंडला द्वारा पत्र क्रमांक/105/ भू अर्जन/2023 मंडला, दिनांक 21/03/2023 से दी गई सूचना वन विभाग को

	area will be evicted with district administration before plantation.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आदेश क्र0 27/ अ-(3)/ 2021-23 दिनांक 27.09.2021 द्वारा आबंटित भूमि पूर्णतया मुक्त कराया जाकर दिनांक 09-02-2023 को वन विभाग को कब्ज़ा सौंप दिया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।
5	Administrative approval /sanction letter of the project needs to be provided.	आवेदक संस्थान में प्रकरण मे म.प्र.शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 26-10-2021 की प्रति संलग्न है।
6	It is not clear from the proposal that what is the status of widening before and after proposed alignment shall be clarified.	प्रस्तावित मार्ग निर्माण का कार्य विद्यमान Alignment में ही किया जाना प्रस्तावित है।
7	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	मार्ग निर्माण के पश्चात खुदाई से निकलने वाले मलवे (MUCK) का उपयोग Embankment बनाने में किया जायेगा तथा अनुपयोगी मिट्टी को सड़क के किनारे निचले भाग में समतलीकरण में उपयोग किया जायेगा।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार

(आर.एस. चंदेल)
संभागीय प्रबंधक
म. प्र. रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
जबलपुर (म.प्र.)

Endt. No. 2562/DM-JBP/ADB-VI-VII/PKG-53/2022-23
Jabalpur, Dated: March 23rd, 2023

प्रतिलिपि: वन मंडलाधिकारी, पूर्व (सामन्य) वनमंडल, मंडला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित

— हस्ता. —
संभागीय प्रबंधक
म. प्र. रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
जबलपुर (म.प्र.)

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ- 28/03/2018/19/यो /3207 भोपाल दिनांक 21/10/2021

प्रति,

प्रबंध संचालक
म.प्र. सड़क विकास निगम
45 -ए अरेरा हिल्स भोपाल

विषय:- एशियन विकास बैंक की सहायता से राज्य के राजमार्गो के उन्नयन हेतु परियोजना "Madhya Pradesh Road Development Programme- " VI & VII" की प्रशासकीय स्वीकृति में संशोधन बावत।

संदर्भ:- आपकी टीप क्रमांक 735/पी0ए0/एम0डी0एम0आर0डी0सी/2021 दिनांक 21.06.2021

-0-

राज्य शासन एतद द्वारा मंत्री परिषद आदेश दिनांक 12 अक्टूबर 2021 के परिपालन मे एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित मार्गो के उन्नयन हेतु प्रस्तावित परियोजना "Madhya Pradesh Road Development Programme- "VI & VII अंतर्गत नवीन राज्य राजमार्गो/मुख्य जिला मार्गो का निर्माण/उन्नयन कार्य मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संपादित कराये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. विभागीय संक्षेपिका की कंडिका 4 (स) (परिशिष्ट-3) अनुसार 41 मार्गो को विभिन्न कारणों से इस योजना में निर्माण संभव नहीं होने/आवश्यक नहीं होने के कारण परियोजना से पृथक करने की स्वीकृति दी जाती है।
2. 41 मार्गो में से 24 मार्ग विभिन्न योजनाओं में लिये गये है एवं शेष 17 मार्गो को लोक निर्माण विभाग के वार्षिक बजट में योजना मद में नियमानुसार लिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है।
3. परियोजना के तकनीकी मापदण्ड एवं कण्डिका 4(अ), (ब) एवं 6 के विवरण अनुसार एडीबी के अनुबंध के अंतर्गत उन्नयन की कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।

Pull2/APR/Hindi Letter 130

4. 60 मार्गो हेतु रूपये 6156 करोड़ राशि से एडीबी के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया जाता है।

5. उपरोक्त संशोधनों के साथ एडीबी के अनुबंध अंतर्गत मूल ऋण अनुबंध की अवधि 30.11.2024 तक क्रियान्वयन का अनुमोदन किया जाता है ।

सहपत्र:- 0

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.सी. बारस्कर)
सचिव
म.प्र. शासन, लो.नि.वि.

पृ.क्रमांक एफ-28/03/2018/19/यो / 3208
भोपाल दिनांक 2/10/2021

प्रतिलिपि:-

1 माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग के निज सचिव ।
2 प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल।

सहपत्र:- 0

सचिव
म.प्र. शासन, लो.नि.वि.

एडीबी 6/7 परियोजना में सम्मिलित शेष मार्गों की जानकारी

स.क्र.	मार्ग का नाम	जिला	लंबाई (कि.मी.)	मार्ग श्रेणी
1	2	3	4	5
1	पोरसा – मेहगाँव – सेवढ़ा – दतिया – पिछोर – करैरा (6 कि.मी. लंबाई E-W कॉरीडोर को छोड़कर) कुल लम्बाई = 275.00 कि.मी.	भिण्ड	77.4	विद्यमान राज्य राजमार्ग
2	इटमा–अमरपाटन–सतना–किरपालपुर–टिकुरी–सेमरिया–फरहद–सिरमौर–क्योंटी–लालगाव–कटरा–नईगढ़ी–मऊगंज–वहेराडाबर–हनुमना–सीधी–चौहारी (8 कि.मी. लम्बाई सतना से किरपालपुर एन.एच. को छोड़कर) कुल लम्बाई = 304.00 कि.मी.	सतना	29.8	विद्यमान राज्य राजमार्ग
3	मानिकपुर (उ.प्र. सीमा) सेमरिया – रीवा – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – हरदी – जनकपुर छत्तीसगढ़ सीमा) कुल लम्बाई = 190.00 कि.मी.	रीवा	41	विद्यमान राज्य राजमार्ग
4	सागर–रहली–तेंदुखेड़ा कुल लम्बाई = 102.00 कि.मी.	सागर	42.2	विद्यमान राज्य राजमार्ग
5	मोहना – घाटीगांव – रानीघाटी – चिनौरी कुल लम्बाई = 29.00 कि.मी.	ग्वालियर	24.4	नवीन राज्य राजमार्ग
6	ग्वालियर – चिनौर – [illegible] – मगरौनी – नितरवार – [illegible] – सिरसौद – पिछोर – पूर्व – पश्चिम कारिडोर के 8 कि.मी. एवं [illegible] से [illegible] – नितरवार को 4 कि.मी. छोड़कर) कुल लम्बाई = 124.00 कि.मी.	शिवपुरी	10.6	नवीन राज्य राजमार्ग
7	[illegible] – मिर्जापुर – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – कचनार – अशोकनगर – ईसागढ़ कुल लम्बाई = 195.00 कि.मी.	गुना, अशोकनगर	74	नवीन राज्य राजमार्ग
8	खिलचीपुर – छापीहेड़ा – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – सुन्दरसी – पोलाइकलां – [illegible] – [illegible] – [illegible] कुल लम्बाई = 167.00 कि.मी.	राजगढ़, शाजापुर	21.7	नवीन राज्य राजमार्ग
9	मनोहर थाना – [illegible] – [illegible] – दडोर – कुम्भराज – [illegible] – रा.रा. 46 जोड – मक्सुदनगढ – नजीराबाद – बैरसिया कुल लम्बाई = 164.00 कि.मी.	गुना	39.4	नवीन राज्य राजमार्ग
10	खैरवाना – पथारिया – [illegible] – रहली – [illegible] – देवरी – [illegible] – घाटखेड़ी – [illegible] – प्रतापगढ़ – [illegible] – [illegible] – [illegible] – घाटखेड़ी – पिपलियाकेथट – नोनियाबरेली – एन.एच. 45 जोड कुल लम्बाई = 169.00 कि.मी.	रायसेन	31.5	नवीन राज्य राजमार्ग
11	इटमा – अमरपाटन – सतना – कृपालपुर – टिकुरी – सेमरिया – फरहद – सिरमौर – क्योंटी – लालगाँव – कटरा – मऊगंज – नईगढी – वहेराडाबर – हनुमना – सिधी – चौहारी (सतना – कृपालपुर रा.रा. 8 कि.मी. लंबाई छोड़कर) कुल लंबाई = 304.00 कि.मी.	सतना, रीवा	73.4	नवीन राज्य राजमार्ग

एडीबी 6/7 परियोजना में सम्मिलित शेष मार्गो की जानकारी

स.क्र.	मार्ग का नाम	जिला	लंबाई (कि.मी.)	मार्ग श्रेणी
1	2	3	4	5
12	विदिशा–अहमदपुर–गढ़ी–गैरतगंज कुल लंबाई 18.60 कि.मी.	रायसेन	18.6	नवीन राज्य राजमार्ग
13	ग्यारसपुर – [illegible] – [illegible] – सुल्तानगंज – [illegible] – [illegible] – कंसली [illegible] कुल लंबाई = [illegible] कि.मी.	विदिशा सागर	59.9	नवीन राज्य राजमार्ग
14	सालावरू – गुदारी – [illegible] – गोरखपुर – महलवान – [illegible] – [illegible] – गाडरवारा कुल लंबाई = 66.00 कि.मी.	रायसेन	55.8	नवीन राज्य राजमार्ग
15	महाराजपुर–[illegible]–[illegible]–गाडरवारा कुल लंबाई 42.0 कि.मी.	सागर	42	नवीन राज्य राजमार्ग
16	[illegible] – शेरसिंहपुर – [illegible] – शाहपुर – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – (फूलसागर – [illegible] लंबाई [illegible] कि.मी. [illegible]) कुल लंबाई – 229.00 कि.मी.	डिण्डोरी, उमरिया	53	नवीन राज्य राजमार्ग
17	गुजरात सीमा – [illegible] – कट्ठीवाड़ा – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] कुल लंबाई = [illegible] कि.मी.	धार, अलीराजपुर	116.45	नवीन राज्य राजमार्ग
18	[illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – गुदगांव – [illegible] – [illegible] – [illegible] – महाराष्ट्र सीमा कुल लंबाई = 283.00 कि.मी.	बैतूल	171.4	नवीन राज्य राजमार्ग
19	बड़ोल जोड़ – कुण्डा – थावरी – चौरई – चांद – [illegible] – [illegible] – सावंसी – [illegible] – [illegible] – [illegible] – महाराष्ट्र सीमा कुल लंबाई = 160.00 कि.मी.	छिंदवाड़ा	96.5	नवीन राज्य राजमार्ग
20	छत्तीसगढ़ सीमा – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – लामता – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – (लामता – [illegible] लंबाई 24 कि.मी. छोड़कर कुल लंबाई = [illegible] कि.मी.)	बालाघाट	52.2	नवीन राज्य राजमार्ग
21	समनापुर–गाड़ासरई मार्ग कुल लंबाई 22.50 कि.मी.	डिण्डोरी	22.5	नवीन राज्य राजमार्ग
22	तूमड़ा पाटनिया [illegible] मार्ग लम्बाई 12.80 कि.मी.	भोपाल	12.8	विधमान मुख्य जिला मार्ग
23	सेमरी [illegible] मार्ग कुल लंबाई 13.60 कि.मी.	होशंगाबाद	13.6	विधमान मुख्य जिला मार्ग

(एम. ए. खान)
[illegible] (लो.नि.वि.)

एडीबी 6/7 परियोजना में सम्मिलित शेष मार्गों की जानकारी

स.क्र.	मार्ग का नाम	जिला	लंबाई (कि.मी.)	मार्ग श्रेणी
1	2	3	4	5
24	सोनासांवरी सांवलखेड़ा मार्ग कुल लंबाई 11.70 कि.मी.	होशंगाबाद	11.7	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग
25	अमरावद–भारकच्छ मार्ग कुल लंबाई 19.50 कि.मी.	रायसेन	17	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग
26	औबेदुल्लागंज [illegible] कुल लंबाई 14.20 कि.मी.	रायसेन	14.6	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग
27	चिकलोद रायसेन मार्ग कुल लंबाई [illegible] कि.मी.	रायसेन	24.8	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग
28	खुजनेर गुलावता मार्ग कुल लंबाई 22.80 कि.मी.	राजगढ़	15.6	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग
29	सिद्दीकगंज हाटपीपल्या मार्ग कुल लंबाई 21.20 कि.मी.	सीहोर	21.2	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग
30	भाउखेड़ी अमलाहा [illegible] मार्ग कुल लंबाई 17.60 कि.मी.	सीहोर	17.6	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग
31	लटेरी शमशाबाद कुल लंबाई [illegible] कि.मी.	विदिशा	35.2	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग
32	सुल्तानिया पीपलखेड़ा [illegible] कुल लंबाई 12.80 कि.मी.	विदिशा	12.8	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग
33	ग्वालियर इन्दौर मार्ग [illegible] कुल लंबाई 26.55 कि.मी.	[illegible]	28.55	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग
34	[illegible]	[illegible]	30.8	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग
35	रायपुर कचुलियान से सुपिया मलुहा महसाव मार्ग कुल लंबाई 20.00 कि.मी.	रीवा	15.35	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग
36	ब्यौहारी वनसूकली सीधी मार्ग कुल लंबाई 56.90 कि.मी.	शहडोल	46.4	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग
37	पदमी रामनगर घुघरी [illegible] मार्ग कुल लंबाई 51.10 कि.मी.	मण्डला	51.1	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग
38	शिप्रा बुढी बरलाई [illegible], खुड़ैल [illegible], महाराजगंज बिलौदा मांगलिया, पानौद सांवेर कुल लंबाई 29.30 कि.मी.	इन्दौर	28.9	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग
39	जोबट चान्दपुर मार्ग कुल लंबाई 21.00 कि.मी.	अलीराजपुर	21.6	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग
40	अलीराजपुर मथवाड़ मार्ग कुल लंबाई 57.00 कि.मी.	अलीराजपुर	57	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग

(एम. पी. [illegible])
[illegible]

एडीबी 6/7 परियोजना मे सम्मिलित शेष मार्गो की जानकारी

स.क्र.	मार्ग का नाम	जिला	लंबाई (कि.मी.)	मार्ग श्रेणी
1	2	3	4	5
41	धावाबावडी– बालकुआ– लोनसरा– बोरलाय मार्ग कुल लंबाई 10.80 कि.मी.	बड़वानी	10.8	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग
42	लवाझर से [illegible] मार्ग कुल लंबाई 24.80 कि.मी.	सीधी	24.8	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग
43	बागोंद–जंस्सा– पवई– मोहिन्द्रा– सेमरिया– अमानगंज– मार्ग का सामरिया– मोहिन्द्रा– पवई खण्ड (एस.एच.–52) कुल लंबाई 38.0 कि.मी.	पन्ना	38	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग
44	[illegible] –गुराद– [illegible] –[illegible] [illegible] मार्ग कुल लंबाई 35.00 कि.मी.	विदिशा	35	नवीन मुख्य जिला मार्ग
45	[illegible] –[illegible] मार्ग कुल लंबाई 12.00 कि.मी.	भिण्ड	12	नवीन मुख्य जिला मार्ग
46	[illegible] से [illegible] – [illegible] ([illegible] मार्ग) कुल लंबाई 25 [illegible] कि.मी.	मुरैना	25	नवीन मुख्य जिला मार्ग
47	[illegible] –[illegible] मार्ग से [illegible] मार्ग कुल लंबाई 18.70 कि.मी.	मुरैना	18.7	नवीन मुख्य जिला मार्ग
48	[illegible] से बृजगढ़ी व्हाया [illegible] मार्ग कुल लंबाई 16.00 कि.मी.	मुरैना	16	नवीन मुख्य जिला मार्ग
49	[illegible] मार्ग कुल लंबाई 62 [illegible] कि.मी.	मुरैना	62.8	नवीन मुख्य जिला मार्ग
50	[illegible] मार्ग कुल लंबाई [illegible] कि.मी.	श्योपुर	24.4	नवीन मुख्य जिला मार्ग
51	बड़ौदा से [illegible] मार्ग कुल लंबाई 19.72 कि.मी.	श्योपुर	17.6	नवीन मुख्य जिला मार्ग
52	शिवपुरी –[illegible] के ग्राम [illegible] से [illegible] मार्ग कुल लंबाई 70.50 कि.मी.	शिवपुरी	70.5	नवीन मुख्य जिला मार्ग
53	[illegible]– [illegible]– सीतापुर– [illegible] मार्ग कुल लंबाई 42.00 कि.मी.	रीवा	42	नवीन मुख्य जिला मार्ग
54	कर्पुरा – बघऊ – [illegible] – सजवानी मार्ग कुल लंबाई 59.00 कि.मी.	सीधी	60	नवीन मुख्य जिला मार्ग
55	बैढन– [illegible] –सिंगरौलिया– [illegible]– बडगड– [illegible] – छत्तीसगढ़ सीमा तक कुल लंबाई 30.00 कि.मी.	सिंगरौली	30	नवीन मुख्य जिला मार्ग
56	लपाटोला – पटना– [illegible] – [illegible]– अहिरगाव– [illegible] मार्ग कुल लंबाई 52.60 कि.मी.	अनुपपूर	52.6	नवीन मुख्य जिला मार्ग
57	[illegible] – [illegible] मार्ग कुल लंबाई 13.00 कि.मी.	डिण्डोरी	13	नवीन मुख्य जिला मार्ग

एडीबी 6/7 परियोजना में सम्मिलित शेष मार्गों की जानकारी

स.क्र.	मार्ग का नाम	जिला	लंबाई (कि.मी.)	मार्ग श्रेणी
1	2	3	4	5
58	समनापुर – बजाग मार्ग कुल लंबाई 25.00 कि.मी	डिण्डोरी	32	नवीन मुख्य जिला मार्ग
59	अंजनिया रामनगर [illegible] घुभायल चकदेही खिन्हा मार्ग कुल लंबाई 73.80 कि.मी	मण्डला	73.8	नवीन मुख्य जिला मार्ग
60	बड़वानी -[illegible]- सिंधी- खोदर-सिलावद मार्ग कुल लंबाई [illegible] कि.मी	बड़वानी	14.4	नवीन मुख्य जिला मार्ग
	योग		2303.75	

विद्यमान राज्य राजमार्ग	4	190.4	
नवीन राज्य राजमार्ग	17	963.35	
मुख्य जिला मार्ग	39	1150	
निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण सलाहकार सेवायें			
योग	60	2303.8	

कार्यालय कलेक्टर मण्डला (म0प्र0)

कमांक /105/ भू अर्जन /2023 मण्डला, दिनांक 21 /03/2023

प्रति,

संभागीय प्रबंधक,
म0प्र0 रोड डेव्हलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड,
जबलपुर

विषयः— मण्डला जिले के अंतर्गत (एडीबी VI-VII) योजनांतर्गत स्वीकृत पदमी रामनगर सलवाह मार्ग (मुख्य जिला मार्ग) कुल लंबाई 51.10 कि0मी0 के उन्नयन कार्य हेतु वांछित वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु किए गए आवेदन पर कार्यवाही के संबंध में ।

संदर्भ :— 1 . आपका पत्र क0 1983/एडीबी VI-VII /एमपी आर डी सी/2023 जबलपुर दिनांक 04.01.2023

2 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिछिया का पत्र क्रमांक/1093/अविअ/प्रवा–2/बिछिया दिनांक 10.02.2023

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र कमांक 1 के अनुक्रम में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिछिया जिला मण्डला द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की गई है तथा संदर्भित पत्र क02 द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है । तदानुसार अवगत हो कि विषयांकित परियोजना हेतु वांछित वनभूमि के व्यपर्वतन की अपरिहार्य औपचरिकताओं की पूर्ति हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आदेश क0 27/अ–(3)/2021–22 दिनांक 27.09.2021 द्वारा आवंटित भूमि पूर्णतया मुक्त कराया जाकर दिनांक 09–02–2023 को वन विभाग को कब्जा सौंप दिया गया है । अतः आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(श्रीमती हर्षिका सिंह)
कलेक्टर, मण्डला

कार्या. प. ह. न. 145 भीमा रा. नि. म. सिझौरा तहसील बिछिया

प्रति,

Date
9/2/23

अ. वि. अ. (रा.),
तह. बिछिया, मण्डला,

विषय:- वन विभाग को कब्जा सौंपने बावद्।

"मान्यवर"

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्या. कलेक्टर जिला मण्डला प्र. क्र. 27/अ-20/3/2021-22 दिनांक 27/9/21 के परिपालन में ग्राम भीमा प. ह. न. 145 रा. नि. म. सिझौरा तह. बिछिया जिला मण्डला की भूमि ख. न. 121 रकबा 15.31 हे. में से 5.70 हे. भूमि मद चारागाह वन विभाग को ~~समक्ष~~ हल्का पटवारी, बीटगार्ड, सरहदी पटवारी (कोको) की उपस्थिति में हस्तांतरित कर कब्जा सौंपा गया।

अतः प्रतिवेदन उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

प्रतिवेदन अनुशंसा सहित श्रीमान अनु. अधि. महो. की ओर सादर सम्प्रेषित

10/02/2023

तहसीलदार
बिछिया

Rachna
प. ह. न. 145
पटवारी
प.ह.न 145
रा.नि.म सिझौरा

स्थल पंचनामा

आज दिनाँक 8/2/2023 को हम उपस्थित राजस्व एवं वन विभाग के के अधिकारी, कर्मचारी बीटगार्ड, हल्का पटवारी एवं सरहदी पटवारी (ग्राम - कीको) यह तस्दीक देते है कि ग्राम भीमा पटवारी ह० नं० 145 रा० नि० म० सिझौरा तहसील बिछिया जिला मण्डला की भूमि ख० नं० 121/2 रकबा 5.70 हे० आवंटित वन विभाग को नज़री नक्शा अनुसार नाप कर एवं चूना लाईन द्वारा सीमांकन कर चिन्हित किया गया। सम्मती अनुसार कब्जा सौंपा गया।

हम हस्ताक्षरकर्ता इसके साक्षी है।

P.H.N.143

Rachna
प. ह. नं 145
पटवारी
प.ह.न 145
रा.नि.म सिझौरा

(नजरी - नक्शा)

ख. नं. 121

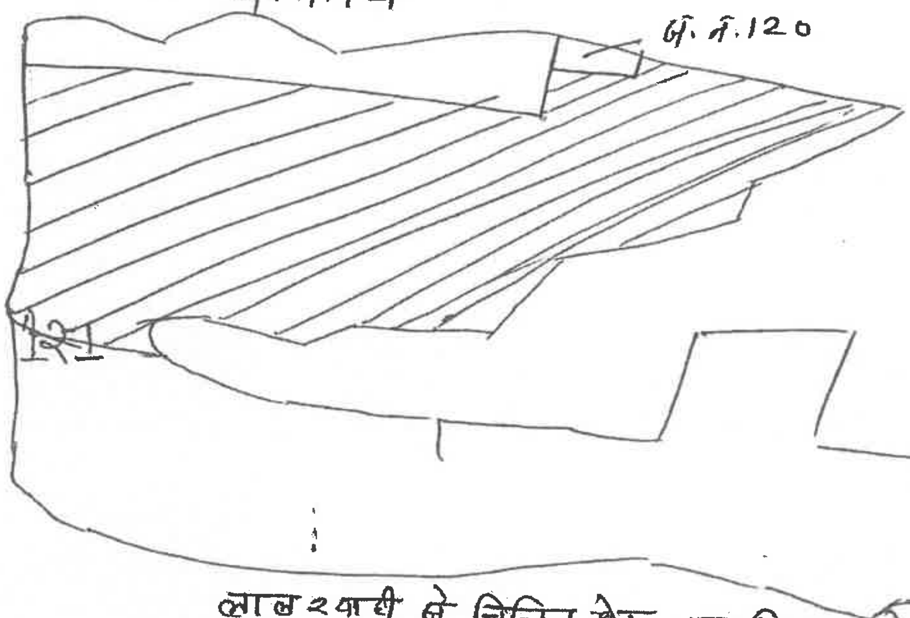

लाल स्याही से चिन्हित क्षेत्र वन विभाग को आवंटित किया गया है।

R.O. Bichhiya
वन परिक्षेत्र अधिकारी
बिछिया (सा.)

बीटगार्ड

राजस्व निरीक्षक
सिझौरा

तहसीलदार
बिछिया

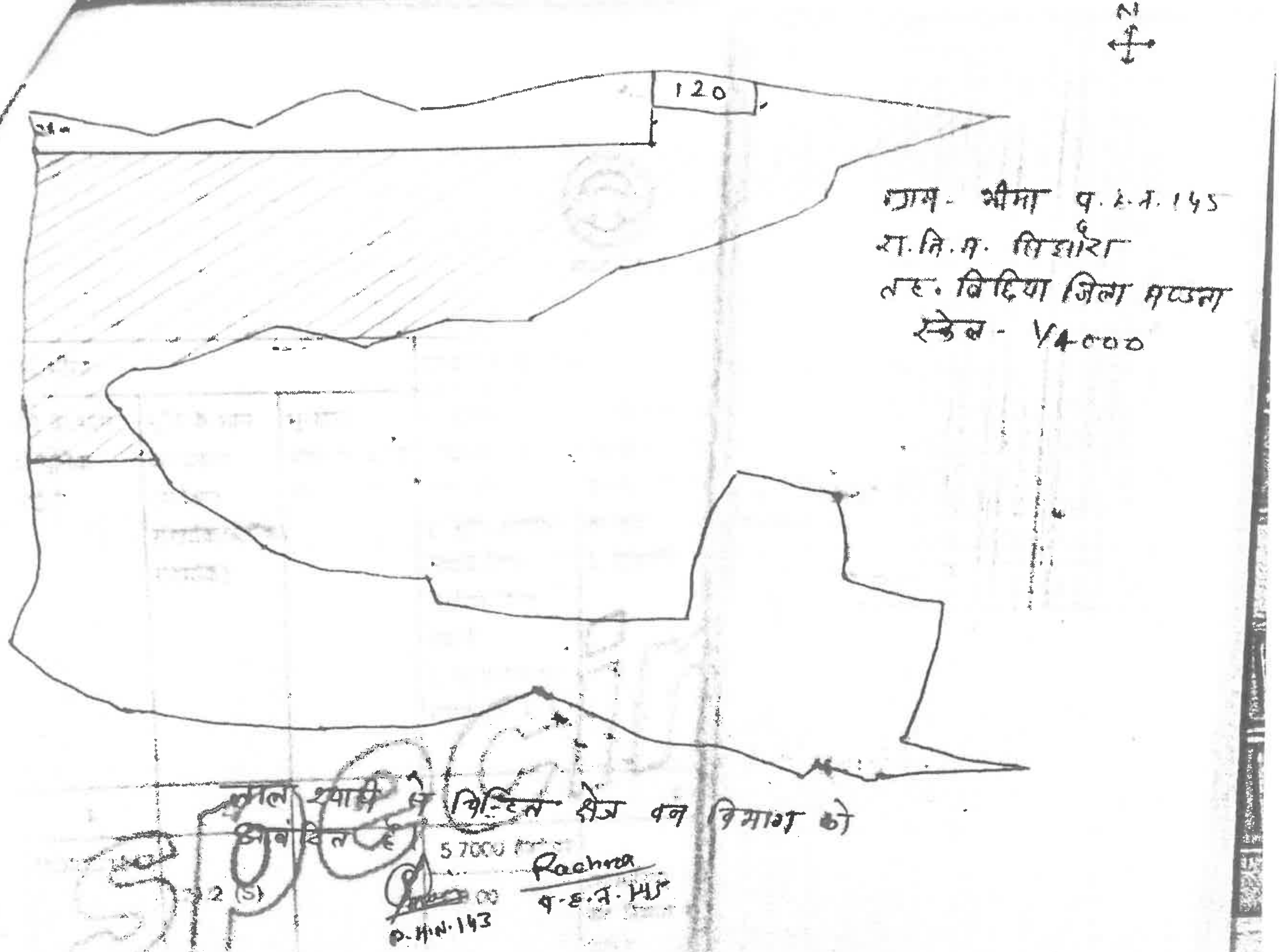
N
120
ग्राम- भीमा प.ह.न. 145
रा.नि.म. सिहारा
तह. विदिशा जिला मझना
स्केल - 1/4000
लाल स्याही से चिन्हित क्षेत्र वन विभाग को
आवंटित है
Rachna
प.ह.न. 145
P.H.N. 143

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:भीमा			पटवारी हल्का:भीमा			तहसील:बिछिया			जिला:मंडला		वर्ष: 2022-2023
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी स्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1539121847	21/2 (S)		5.7000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0027/अ-20/2021-22 आदेश दि. 27/09/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। म.प्र.शासन

specimen copy

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी बिछिया
जिला मण्डला

क्र/1093/अ.वि.अ./प्रवा.–2/2023 बिछिया, दिनांक 10.02.2023

कलेक्टर महोदय,
मण्डला

विषय :– मण्डला जिले के अंतर्गत(ए.डी.बी. 6–7) योजनांतर्गत स्वीकृत पद्मि–रामनगर–सल्वा मार्ग (मुख्य जिला मार्ग) कुल लंबाई 51.10 कि.मी. के उन्नयन कार्य हेतु वांछित वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु किये गये आवेदन पर कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भ :– संभागीय प्रबंधक मध्य प्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड जबलपुर(मध्य प्रदेश) का पत्र कमांक/1983/एडीबी. 6–7/एम.पी.आर.डी.सी./2023 जबलपुर दिनांक 04.01.2023

—000—

उपरोक्त विषायांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है संदर्भित परियोजना हेतु न्यायालय कलेक्टर जिला मण्डला के प्रकरण कमांक 27/अ–20(3)/2021–22 आदेश दिनांक 27.09.2021 द्वारा पद्मी–रामनगर–घुघरी–सलवाह मार्ग हेतु 5.70 हे. भूमि वन विभाग को आवंटित की गई थी। जिसके कब्जा दिनांक 09.02.2023 को मौके पर वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को सौपा जा चुका है एवं राजस्व अभिलेख में दुरुस्त किया जा चुका है।

अतः प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) बिछिया

पृ.क्रमांक/1093/अ/प्रवा–2/अ.वि.अ./2023 बिछिया दिनांक 02.2023

प्रतिलिपि :–

1. संभागीय प्रबंधक मध्य प्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड जबलपुर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) बिछिया